



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 चैत्र 1940 (श10)
(सं० पटना 294) पटना, मंगलवार 3 अप्रील 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
3 अप्रील 2018

एस०ओ० 163, दिनांक 3 अप्रील 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्तन एक करोड़ पचास लाख रुपए तक का है ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो मालों या सेवाओं को अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति अप्रैल से जून, 2018 तिमाही के दौरान की गई मालों या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्ररूप जीएसटी आर-1 में 31 जुलाई, 2018 तक प्रस्तुत करेंगे।

3. अप्रैल से जून, 2018 के मासों के लिए अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय-सीमा में विस्तार को पश्चात्कर्ती रूप में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

4. यह अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-1014)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त।

3 अप्रैल 2018

एस०ओ० 163, दिनांक 3 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-1014)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त।

The 3rd April 2018

S.O. 163, dated 3rd April 2018— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** effected during the quarter April to June, 2018 till the 31st day of July, 2018.

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of April to June, 2018 shall be, subsequently, notified in the Official Gazette.

4. This notification shall come into force with effect from 28th March, 2018.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017(Part-I)-1014)]

By the order of Governor of Bihar,

DR.PRATIMA,

Commissioner Commercial Taxes.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 294-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>